न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –09/2024 (आव0व0अधि0)
GCMSNO. 2024/180

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

श्री वीरेश जैन पुत्र श्री गौत्तम चन्द जैन जाति जैन निवासी इन्दिरा विद्या निकेतन स्कूल के पास डी.सी.एम. एरिया, कोटा
––अप्रार्थीगण.

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–
1. पेरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 15.04.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 19.09.2024 के अनुसरण में जांच दल प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दिनांक 17 सितम्बर से 27 सितम्बर 2024 तक घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहनों में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के कम में दिनांक 23.9.2024 को डी सी एम चौराहा चौथ माता मन्दिर के पास स्थित श्री गौतम केटर्स /गौत्तम टी –स्टॉल पर मौके पर पहुंचे । मौके पर डी सी एम क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट श्री गौत्तम केटर्स /गौत्तम टी स्टॉल के संचालक श्री वीरेश जैन पुत्र श्री गौत्तम चन्द जैन जाति जैन निवासी इन्दिरा विद्या निकेतन स्कूल के पास डी.सी.एम. एरिया कोटा की उपस्थिति में रेस्टोरेन्ट का अवलोकन करने पर.02 लाल घरेलु गैस सिलेण्डर भट्टियों से जुडे हुए पाये गये तथा इन पर मिठाई आदि बनाये जा रहे थे तथा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर दुकान में रखे पाये गये इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया है । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जा रहा है इनके पास किसी भी प्रकार का गैस के कार्य किये जाने हेतु वैध लाईसेन्स अथवा दस्तावेज नहीं होना पाया गया । मौके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया । जिनका कुल अनुमानित मूल्य 11157/– अक्षरे ग्यारह हजार एक सौ सत्तावन रूपये है । जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न है –

क. सं.	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी काउपदर्शित मानक भार /क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्रा में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्रा में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	34633	BPCL	30.0	15.8	15.7	0.1	घरेलू
2	120674	BPCL	29.8	15.6	15.9	0.3	घरेलू
3	817283	HPCL	30.1	15.6	15.9	0	घरेलू
4	544206	BPCL	29.7	15.5	16.8	1.3	घरेलू
5	86589	BPCL	30.9	16.7	16.8	0.1	घरेलू

इस प्रकार रिहायशी इलाके में अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस ऑर्डर 2000 में निहित का प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । अतः 05 घरेलू गैस सिलेण्डारों को जब्त कर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर राजस्थान

जिला कलक्टर
कोटा

श्री गैस एजेन्सी कोटा के कर्मचारी श्री रोहित पुत्र ओमप्रकाश जाति माली निवासी कन्सुआ कोटा को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री रामरतन मीणा का वकालतनामा पेश हुआ, किन्तु वकील अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश नहीं किया । काफी समय सी अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी अनुपस्थित चल रहे है । अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने से पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस सुनी ।
3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी की दुकान परिसर से 05 घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान दुकान से जब्त किये गये है तथा मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़े हुए होने एवं उक्त सिलेण्डरों से मिट्ठाई बनाकर व्यावसायिक उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से मौके पर ही जब्त किये गये है । अतः उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात कराना फरमावें ।
4. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । वकील अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित है । अप्रार्थी द्वारा डी सी एम चौराहा चौथ माता मन्दिर के पास स्थित अपने रेस्टोरेन्ट श्री गौतम केटर्स /गौत्तम टी –स्टॉल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 का उल्लंघन होने से प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के रेस्टोरेन्ट से जब्त किये गये है । अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अप्रार्थी बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रहे है, इससे यह जाहिर है कि उक्त जब्त सिलेण्डरों के सम्बन्ध में उनके पास कोई जवाब नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है ।
5. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 05 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को राजसात (Confiscat) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।
6. निर्णय आज दिनांक 15.4.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर